कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in,फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– न.वि.न्या / नियमन / 2023 / 75 दिनांकः– 09-01-24

प्रेषितीः–

1. झाबर मल पुत्र श्री नानूराम जाति माली
   निवासी गोपीनाथजी की ढ़ाणी सीकर।

विषयः– राजस्व ग्राम नानी तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 2198 / 1929 रकबा 5620.00 वर्गमीटर भूमि में पाबूजी नगर आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम नानी तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 2198 / 1929 रकबा 5620.00 वर्गमीटर भूमि में पाबूजी नगर को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA)में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय / बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
6. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
7. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
8. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 09, 10, 14 व 15) भू–खण्ड का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
10. बोरिंग / ट्यूबवेल / पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
11. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– योजना मानचित्र।

(मनमोहन मीणा)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

Scanned with CamScanner

PABUJI NAGAR RESIDENTIAL COLONY
LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 2198/1929
REVENUE VILL. :- NANI, DIST. SIKAR (RAJ.)
APPLICANT :- JHABARMAL ADOPTED SON OF NANURAM

U.I.T. SIKAR

नगर विकास न्यास सीकर

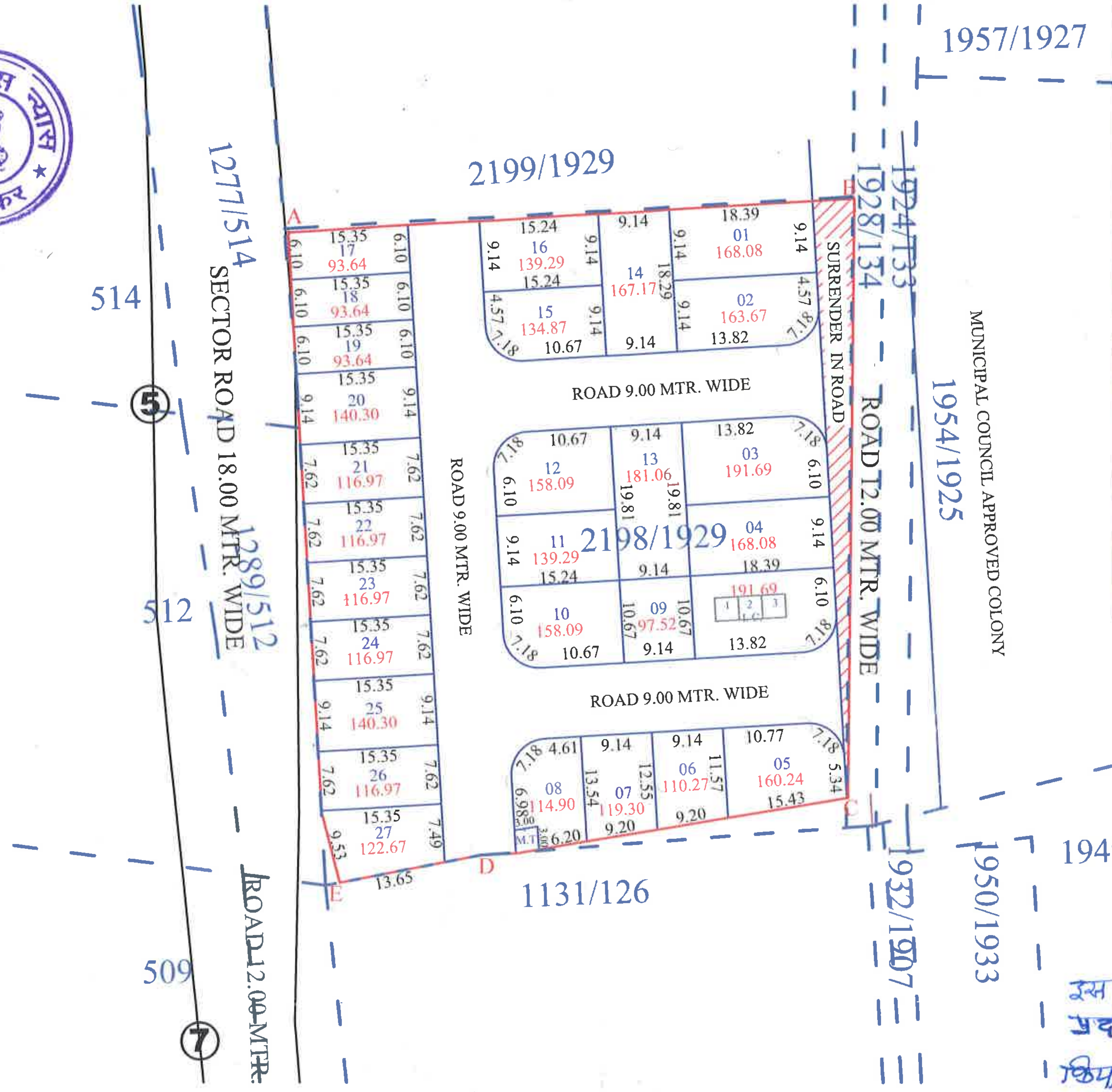

GOOGLE PLAN

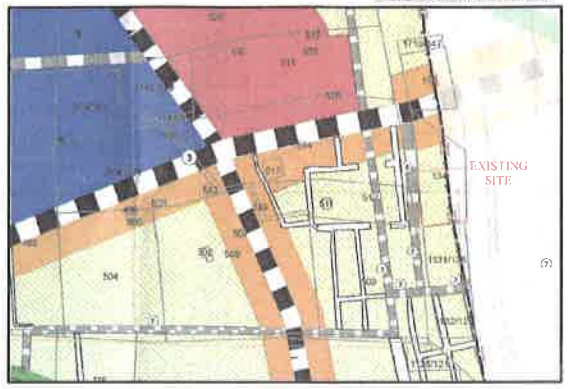

SECTOR PLAN

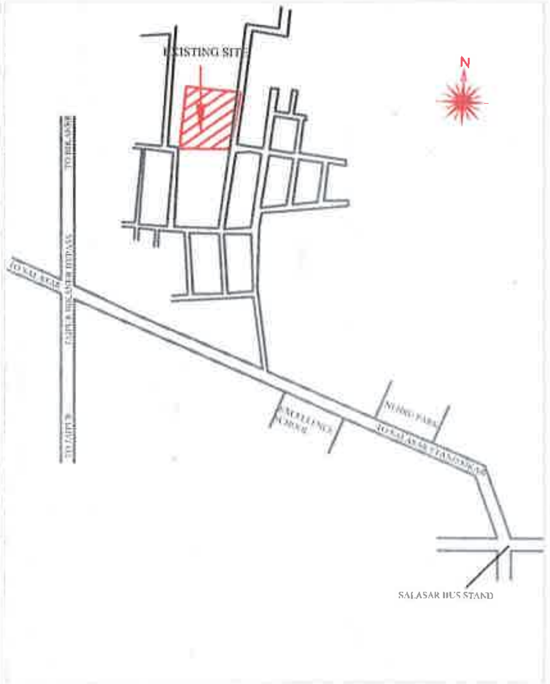

KEY PLAN
(Not To Scale)

AREA ANALYSIS

S. NO.	LAND USE	AREA (IN SQ MTR.)	%
1.	RESIDENTIAL	3640.65	64.78
2.	INFORMAL COMMERCIAL	191.69	03.41
3.	MOBILE TOWER	09.00	00.16
4.	ROAD	1565.17	27.85
5.	SURRENDER IN ROAD	213.49	03.80
	SCHEME AREA	5620.00	100.00%

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PLOTS	NO. PLOTS
2.	RESIDENTIAL	27
3.	INFORMAL COMMERCIAL	1

SCALE = 1:750

	SCHEME BOUNDARY
	KHASRA LINE
	PLOT BOUNDARY
	SURRENDER IN ROAD

रिपोर्ट राजस्व शाखा

इस ले आउट प्लान में योजना सीमा से प्रदर्शित क्षेत्र का राजस्व नक्शा से मिलान किया गया जो लगभग अनुरूप है।

22/12/2023
न्यास ILR

योजना का नाम.. का ले–आउट आज दिनांक........................ को ले–आउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास, सीकर

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास, सीकर

सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

TOTAL AREA KH. NO 2198/1929 = 5620.00 SQ. MTR
PROPOSED SITE AREA =5620.00 SQ. MTR.

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SHRI BALAJI ARCHITECTS & SURVEYORS
1st, FLOOR , JANGIR BHAWAN, OPP. COURT, SIKAR
Mo. +919057215539, +918094208749

REF No.- 220906/SURVEY/001 REV-0